प्रारूप 11

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण की स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या 24 / ।।।–(2) / 18–44 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 10 / 01 / 2018 द्वारा 5.00 किमी0 रू0 23.00 लाख स्वीकृत हुआ है। जिसमें 9.00 मीटर चौडाई के अनुसार राज्य भूमि 1.911 हे0, नाप भूमि 2.588 हे0 प्रभावित होती है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से धारी जोशी, डुंगरी की कुल जनसंख्या 341 लाभान्वित होगी।

उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार वन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 25 सुभाष रोड के पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 23 / 2021 / एफ0सी0 / 2475, दिनांक 17.03.2021 द्वारा लगाई गई आपत्ति सं0 01 के कम में उक्त मोटर मार्ग की लं0 5.00 किमी0 में प्रस्ताव का गठन किया गया था जिसमें मार्ग को चण्डाक चमाली मोटर मार्ग से होते हुए डुंगरा ग्राम से आगे की ओर ले जाया गया था परन्तु वर्तमान में समरेखण को चण्डाक चमाली मोटर मार्ग के मिलान बिन्दु तक लम्बाई 4.2000 किमी0 के अनुसार प्रस्ताव में के0एम0एल0 फाइल टोपो जियो मैप एवं लेन्ड शैड्यूल से सम्बन्धित प्रपत्रों मे संसोधन किया गया जिसके अनुसार 4.200 किमी0 लम्बाई में 0.29 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.991 हे0 वन पंचायत, 0.63 हे0 सिविल सोयम एवं 1.867 हे0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें कुल 1.911 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण किया जाना है, जो उपयुक्त समरेखण है।

वन भूमि में मोटर मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्यः–

1– राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष राज्य भूमि क्षेत्र लगभग 60 प्रतिशत है। जबकि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कम प्रतिशत ही राज्य भूमि का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि औचित्य पूर्ण है।
2– दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने एवं कास्तकारों के छोटे छोटे भागों में भू–स्वामित्व होने के कारण मोटर मार्ग को सम्पूर्ण ल0 में नाप भूमि में बनाया जाना सम्भव नहीं है।
3– इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग को आरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी में सहुलियत होगी।
4– दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण दो से अधिक विकल्पों में विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है दो समरेखणों में सर्वेक्षण करने के पश्चात भू–वैज्ञानिक के रिर्पोट, मोटर मार्ग की ल0 कम होने, अधिक जनसंख्या लाभान्वित होने, वृक्षों से कम प्रभावित होने तथा उत्सर्जित मलवे की मात्रा कम होने के कारण एक मात्र यही समरेखण मोटर मार्ग निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त पाया गया।

अतः प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है। ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके।

(Er. D.C.) 14/9
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

(K.C. Joshi) 14/9
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़